राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 1 ( )अकाद / निकाशि / परिपत्र / 2012 / 192 दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रेषकः **निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव,**
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः **समस्त प्राचार्य,**
राजकीय महाविद्यालय /
गैर राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय– विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के नामों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अभी हाल में निर्वाचन विभाग के साथ आयोजित बैठक में विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन संचालित होने वाले विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के नामों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकरण करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाए, जिसमें छात्र–छात्राओं को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उनके नाम पंजीकरण करने के विषय में जागरूक कर आवेदन–पत्र भरवाये जाए, जिससे कि मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इस विषय में आपको विदित है कि इस प्रकार का अभियान गत वर्ष भी चलाया गया था।

2. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के विषय में पात्रता निम्न प्रकार से है–

(क) व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
(ख) उसकी आयु 01 जनवरी 2013 को 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
(ग) जो संबंधित भाग / क्षेत्र (मतदाता–केन्द्र का क्षेत्र) में मामूली तौर पर निवास करता हो।

उपरोक्त योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे छात्र–छात्राएं जिन्होंने इस शैक्षणिक वर्ष में अभी प्रवेश लिया है या पूर्व से अध्ययनरत है जिनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है का नाम वर्तमान में अभियान चलाया जाकर पंजीकरण करवाया जाना आवश्यक है।

3. निर्वाचन विभााग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश है कि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे छात्र / छात्राएं जिनकी आयु उपरोक्तानुसार 18 वर्ष की है तथा ऐसे विद्यार्थी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में ऐसा कोर्स कर रहे है जो कि भारत सरकार / राज्य सरकार / बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा एक वर्ष से कम अवधि का नहीं है तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का मतदाता के रूप में पंजीयन करवाने के 2 विकल्प है। उक्त विकल्प निम्न प्रकार से है–

(क) विद्यार्थी अपना नाम अपने माता–पिता के साथ अपने निवास स्थान की मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते है। इस प्रयोजनार्थ उन्हें इस कार्य हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र 6 में संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करना होगा। अथवा
(ख) जहां रह कर वह अध्ययन कर रहा है वहां के पते पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है तथा आवेदन पत्र के साथ संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य / निदेशक / रजिस्ट्रर / डीन का बोनोफाईड सर्टिफिकेट सहित स्वयं की घोषणा का प्रपत्र संलग्न कर आवेदन कर सकता है। उक्त घोषणा का प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। इस घोषणा पत्र को निर्वाचन विभाग की वेबसाईट ceorajasthan.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. कृपया इस अभियान के लिए अपने संस्था में किसी वरिष्ठ प्राध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा उन्हें यह भी निर्देश दिये जाए कि वह इस विषय में संबंधित जिला निर्वाचन

अधिकारी (कलेक्टर) अथवा उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर ले। इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि संस्था के नोटिस–बोर्ड पर इस आशय की सूचना प्रदर्शित करें जिससे 18 वर्ष से अधिक समस्त विद्यार्थियों से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु सीधा सम्पर्क कर सके। नोडल अधिकारी अपने कक्ष के बाहर एक साईन–बोर्ड भी लगायेगे जिससे विद्यार्थियों को उनके कार्य के बारे में जानकारी हो सके। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वो संबंधित उप जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्र के संबंधित एस.डी.एम. एवं तहसीलदार) से सम्पर्क कर पर्याप्त मात्रा में फार्म नं. 6 प्राप्त कर ले ताकि विद्यार्थियों को हाथोहाथ फार्म से संबंधित जानकारी दी जा सके। फार्म नं. 6 निर्वाचन विभाग की वेबसाईट ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध है जहां से उसे डाउनलोड किया जा सकता है। नोडल अधिकारी जिला स्तर अथवा उपखण्ड स्तर पर सम्पर्क कर मतदाता सूची में पंजीकरण अभियान से संबंधित प्रचार–प्रसार की सामग्री प्राप्त कर सकते है।

5. निर्वाचन विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस वर्ष की संदर्भ तिथि 01 जनवरी 2013 को आधार मानते हुए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों को आदिनांक करने हेतु विशेष वार्षिक अभियान दिनांक 15 अक्टूबर 2012 से प्रारम्भ किया जा रहा है। इस अवधि में जहां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर अधिकृत अधिकारी उपस्थित रह कर मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न आवेदन–पत्र प्राप्त करेगें वहीं अपने घर से दूर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि यथास्थिति वह आवेदन पत्र भर कर संबंधित अधिकारी के पास निर्धारित तिथि तक पहुंच सके। विशेष वार्षिक अभियान के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2012 तक प्रस्तुत किये जा सकेगें। **इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष अभियान के अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने या संशोधन कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उक्त आवेदन पत्र वर्ष पर्यन्त भर कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाए जा सकते है।**

अतः आपसे अनुरोध है कि 15 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2012 के मध्य विशेष अभियान चलाया जाकर इस वर्ष जिन छात्र–छात्राओं ने आपकी संस्था में प्रवेश लिया है या ऐसे पूर्व से अध्ययनरत छात्र–छात्राएं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका नाम यथास्थिति मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने हेतु फार्म भर कर संबंधित कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सुबीर कुमार)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांकः एफ 1 ( )अकाद/निकाशि/परिपत्र/2012/192 दिनांक 13 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) राजस्थान।
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, नोडल अधिकारी वेब साईट– कृपया इस परिपत्र को निदेशालय की वेब साईट पर अपलोड करे।

(सुबीर कुमार)
निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा

छात्रावासों/मेसों/अन्य स्थानों में निवास कर रहे छात्रों द्वारा घोषणा
(प्रारूप 6 के साथ संलग्न किया जाये)

इस बॉक्स में पूरे चेहरे के सामने भाग की दृर्शित करने वाली एक पासपोर्ट आकार (3.5 X 3.5 से.मी.) फोटो चिपकाने का स्थान।

1. मैं .... (नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री .... निवासी ....
(मूल स्थान का डाक का पूरा पता) इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि:–

(क) मैं ....(संस्था का नाम) का वास्तविक छात्र हूं और .... (मास)........ (वर्ष) से .... (मास)......... (वर्ष) तक .... (पाठ्यक्रम का ब्यौरा) ....का अध्ययन रक रहा हूं ;

*(ख) मैं वर्तमान में निम्नलिखित में निवास कर रहा हूं:–

(i) .... (यदि छात्रावास/मेस में निवास कर रहा हो तो छात्रावास/मेस के कमरा सं./ब्लाक सं./ब्लॉक नाम इत्यादि का उल्लेख करें)।

या

(ii) .... (यदि छात्रावास/मेस के बाहर किसी अन्य स्थान में निवास कर रहा हो तो छात्रावास/मेस के बाहर के निवास स्थान के पूरे पते का उल्लेख करें)।

*(ग) मैं अपने माता–पिता/संरक्षक के साथ उपर उल्लिखित मेरे मूल स्थान की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहता हूं/मेरे रजिस्ट्रीकरण को रखना चाहता हूं।

या

* मैं उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होना चाहता हूं जहां मैं वर्तमान में निवास कर रहा हूं।

2. मुझे इस बात की जानकारी है कि निर्वाचन विधि के अधीन एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा नहीं है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दाण्डिक उपबंधों की भी जानकारी है जो निम्न प्रकार से है:–
"यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उससे अपवर्जित किये जाने के संबंध में, ऐसा लिखित कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या **तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं हो तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो।**

स्थान:
दिनांक: **(छात्र के हस्ताक्षर)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त (क) पर की घोषणा में दी गयी सूचना और फोटो को संस्था के अभिलेख से सत्यापित कर लिया गया है और इन्हें सही पाया गया है।

स्थान:
दिनांक: **प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/संकायाध्यक्ष के हस्ताक्षर और मुहर।**

*** लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।**
टिप्पणी:– संबंधित नि.र.आ. को घोषणा देने का भार आवेदक पर होगा।